

स्थागलय उपखण्ड अधिकारी महोदय मिडाना जिला झालंधाई राजीव

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपत्रित धारा 138 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम.....के जमाबंदी सं. 1621 के खाता सं. 1621 में दर्ज खातेदार/वादीमण के पिता/पति/हिरसा/जाति/निवासी में मलत इन्द्राज/शिपीकीय चुटी को अन्तर्गत धारा 138 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

शू प्रबंध खाते सं.	शू प्रबंध खाते की अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ चुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
-	-	1621	प्रधुमन कुमार	प्रधुमन कुमार

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. प्रधुमन कुमार शकलान सिन्धुवन
2. ....
3. ....
4. ....

हस्ताक्षर

प्रधुमन कुमार

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम.....के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /शू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

25/10/2025  
हस्ताक्षर, मटवारी  
प्रधुमन कुमार

रिपोर्ट शूअभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।




शूअभिलेख निरीक्षक  
शूअभिलेख निरीक्षक  
25/10/2025

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/1008 .

दिनांक : 25/10/2025

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम.....कुनेल..... के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

  
तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
.....  
कुनेल (जिला राज)

आदेश


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/278

दिनांक : 6.11.25

वादी/प्रार्थी के ग्राम कुनेल..... के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार कुनेल..... की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार.....  
कुनेल.....को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



  
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा  
जिला झालावाड राज0